

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 440/2013/उदयपुर

मैसर्स पटेल टिम्बर्स

टेकरी, उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 22.4.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 221/वैट/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित कर रू. 65,284/- एवं शास्ति रू.1,39,894/-को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2012 को गोवर्द्धन विलास, उदयपुर पर वाहन संख्या आरजे.09जी 3756 को गांधीधाम (गुजरात) से उदयपुर माल टिम्बर परिवहनित किये जाते समय चेक किया गया। वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में माल प्रभारी श्री मोहन लाल से दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होंने मैसर्स महाशिव ट्रांसपोर्ट कम्पनी, गांधीधाम की एल आर संख्या 097-098 दिनांक 17.01.2012, मैसर्स अग्रवाल टिम्बर प्रा.लि.गांधीधाम का इनवाइस क्रमांक आर-1/1169/11-12 दिनांक 17.01.2012 कीमतन रू. 1,83,590/-, मैसर्स सुदर्शन टिम्बर कम्पनी गांधीधाम का इनवाइस क्रमांक 21 दिनांक 17.12.2012 रू. 2,82,722/- तथा घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक 7033332 जारी दिनांक 9.11.2009 प्रस्तुत किये गये। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि प्रपत्र वैट-47 समयावधि पार का है, अतः समयावधि पार के वैट-47 का प्रयोग करना अधिनियम की धारा 76 (6) सपठित नियम 53(7)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वाहन मय माल के कर भवन परिसर, उदयपुर में वाद के निष्पादन तक स्थिर किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की

पालना में भागीदार फर्म श्री लीलाधर पटेल एवं वाहन चालक ने उपस्थित हो कर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 7033332 जो दिनांक 9.11.2009 को मात्र दो वर्ष की अवधि के लिए जारी होना एवं समयावधि निकल जाने की भूल स्वीकार की, किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त कारण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। विभाग द्वारा घोषणा पत्र दो वर्ष की अवधि तक की वैध मानकर जारी किया गया था तथा समयावधि के पश्चात उसकी बिना वैधता बढ़वाये प्रयोग करना अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन है, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 19.01.2012 पारित कर माल की कीमत पर रू. 4,66,312/- 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,39,894 /- आरोपित किया साथ ही विवादित अपवंचित कर(वैट)14 प्रतिशत की दर से रू. 65,284 /- आरोपित कर कुल रू. 2,05,178 /- की मांग सृजित की। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर आरोपित कर एवं शास्ति को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2013 के असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति एवं कर आरोपित किया है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2316 / 2011 / उदयपुर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2013 में पारित निर्णय को उद्धृत करते हुए अभिवाक् किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 120 एस.टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील क्रमांक 2505 / 2011 / चुरू निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणों में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर मत प्रतिपादित किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2013 एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 19.01.2012 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।




राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो विधिक है। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा कालातीत वैट-47 काम में लिया गया है जबकि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 होना आज्ञापक है, उसके अभाव में अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 54 एवं 53(7)(सी) का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं कर आरोपित किया है, जो विधिक है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0, 18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो विधि एवं न्याय संगत है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2013 को यथावत रखने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान दिनांक 19.01.2012 को वाहन संख्या आर.जे.09/जी-3756 को चैक किये जाने पर वाहन चालक द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 7033332 प्रस्तुत किया गया, जो कि विभाग से दिनांक 09.11.2009 को दो वर्ष की अवधि के लिये जारी किया हुआ था, इस प्रकार उक्त घोषणा-पत्र दिनांक 08.11.2009 तक के लिये वैध था। अतः चैकिंग की दिनांक को कालातीत हो चुका था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया है। उक्तानुसार वक्त जांच परिवहनित माल के साथ संलग्न किया गया अवधिपार घोषणा प्रपत्र न तो तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है और न ही विधिमान्य दस्तावेज माना जा सकता। इस प्रकार उक्त घोषणा प्रपत्र अपूर्ण घोषणा प्रपत्र की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (18) टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कर सम्बन्धी विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध हेतु शास्ति आरोपण के लिये व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा आवश्यक अंग (ingredient) नहीं है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपूर्ण/अविधिमान्य घोषणा प्रपत्र से माल राज्य में आयात किया जाना वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से

उल्लंघन होने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ उपलब्ध अविधिमान्य घोषणा प्रपत्र को मान्यता नहीं दी जा जाकर व्यवहारी के विरुद्ध धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति एवं वैट आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिक एवं न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट एवं शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य